<u>न्यायालय अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं०- 7, कानपुर देहात।</u>

<u>सिविल निगरानी सं०- 28/ 2025</u>

बृजकिशोर आदि. . . . . बनाम. . . . . **रामबाबू आदि।**

<u>दिनांकः 17. 02. 2026</u>

<u>प्रतिस्थापन आवेदन पत्र सं०- 14 क का निस्तारणः-</u>

प्रस्तुत आवेदन पत्र सं०- 14 क के परिप्रेक्ष्य में उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। उपस्थित उभयपक्ष को सुना गया।

विद्वान अधिवक्ता पुनरीक्षणकर्ता के द्वारा अभिकथित किया गया कि निगरानीकर्ता सं०- 1 बृजकिशोर की मृत्यु दिनांक 29. 08. 2025 को हो गयी है। अतः उनकी मृत्योपरान्त उनके नाम के आगे मृतक अंकित करने व उनके विधिक वारिस पत्नी व पुत्रों को पुनर्स्थापित करने के लिये प्रतिस्थापन आवेदन पत्र दिया गया है।

प्रतिपक्षी द्वारा कोई आपत्ति नहीं की गयी।

मेरे द्वारा विचार किया गया। बाद मृत्यु पक्षकारों के हित का उचित प्रतिनिधित्व किये जाने हेतु प्रतिस्थापन आवश्यक है। मृत्यु की तिथि एवं विधिक वारिसान के सन्दर्भ में प्रतिपक्ष को कोई आपत्ति नहीं है। अतः आपत्ति के अभाव में प्रतिस्थापन आवेदन पत्र 14 क स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रतिस्थापन आवेदन पत्र 14 क स्वीकार किया जाता है। पुनरीक्षणकर्ता को आदेशित किया जाता है कि वह पुनरीक्षण याचिका में आवश्यक संशोधन नियत तिथि तक करना सुनिश्चित करें। बाद आवश्यक कार्यवाही उभयपक्ष पुनरीक्षण याचिका की सुनवायी हेतु उपस्थित रहें।

वास्ते सुनवायी पत्रावली दिनांक 06. 03. 2026 को पेश हो।

(अपर्णा त्रिपाठी- प्रथम)

अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं०- 7

कानपुर देहात।

JO Code:- UP1628

Digitally signed by APARNA TRIPATHI
Date: 2026.02.17 16:52:41 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court